न्यायमूर्ति राजबीर सेहरावत के समक्ष

अमरबीर सिंह संधू------याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य -------प्रतिवादीगण

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 22271/2020

08 जनवरी, 2021

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 और 227-भर्ती-सशस्त्र सेवाएँ-भारतीय सेना में समूह ए में कमीशन अधिकारियों के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया-समान योग्यता लेकिन अलग-अलग नामकरण-प्रतिवादीगण को समतुल्यता पर एक विशिष्ट निर्णय लेने का निर्देश दिया गया

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यह न्यायालय स्वयं को इस मामले पर एक विशिष्ट निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने और वर्तमान भर्ती के साथ-साथ भविष्य की भर्तियों के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली इंजीनियरिंग' की डिग्री और 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री के समतुल्यता के लिए एक विशिष्ट, निष्पक्ष और सचेत निर्णय लेने के कर्तव्य के तहत पाता है।

(पैरा 13)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि भर्ती करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को याचिकाकर्ता की डिग्री को 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

इंजीनियरिंग' की डिग्री के साथ समतुल्यता पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है, तथापि ऐसी समतुल्यता के बारे में सचेत निर्णय लेकर यह अपने आप में बिना भर्ती किए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को, याचिकाकर्ता को तुरंत पाठ्यक्रम में शामिल होने का कोई अतिरिक्त और तत्काल अधिकार प्रदान नहीं करेगा । (पैरा 14)

आगे कहा कि, तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को निर्देश के साथ किया जाता है कि वे ए. आई. सी. टी. ई. के विनियमों और ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग' में डिग्री और 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' में डिग्री की समानता पर एक विशिष्ट, निष्पक्ष और सचेत निर्णय लें।इस तरह का सचेत निर्णय याचिकाकर्ता के साथ-साथ 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री में भविष्य की भर्तियों के लिए लिया जाएगा ताकि भविष्य में समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को और कोई असुविधा न हो। (पैरा 15)

नवदीप सिंह, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

गौरव पाठक, प्रतिवादी संख्या1 & 2 के लिए अधिवक्ता

एकजोत संधू, प्रतिवादी नं. 3 के लिए अधिवक्ता

राजबीर सहरावत, ज. मौखिक

सीएम नंबर238-सीडब्ल्यूपी और 239-सीडब्ल्यूपी/2021

(1) प्रार्थना के अनुसार आवेदनों की अनुमति दी जाती है।

(2) प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर लिखित बयान को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

मुख्य मामला

(3) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है, **सरशियोरेराई** की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए दिनांक 08.12.2020 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश को दरकिनार करने के लिए कहा गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को 55वें अल्पकालिक सेवा आयोग (तकनीकी) (अक्टूबर 2020) के तहत रद्द कर दिया गया है, एक और प्रार्थना के साथ कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 याचिकाकर्ता को उपरोक्त बैच के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त के आदेश का निर्देश दिया जाए।

(4) रिट याचिका में दिए गए संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि भर्ती करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने अल्पकालिक सेवा आयोग (तकनीकी) द्वारा से भारतीय सेना में समूह ए में कमीशन अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया।इस आशय का जो विज्ञापन जारी किया गया था, वह वर्तमान याचिका के साथ संलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न है।विज्ञापन के

अनुसार आवेदन ऑनलाइन मोड द्वारा आमंत्रित किए गए थे।याचिकाकर्ता के पास 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' में डिग्री है।उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में इंजीनियरिंग की इस धारा के लिए 21 रिक्तियां थीं।स्वयं को उक्त पद के लिए योग्य मानते हुए, याचिकाकर्ता ने उक्त विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया।याचिकाकर्ता ने सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रक्रिया द्वारा से चयन की प्रक्रिया में भाग लिया।सेवा चयन बोर्ड ने याचिकाकर्ता को उपयुक्त पाया था और आयोग प्रशिक्षण के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की थी।हालाँकि, बाद में भर्ती महानिदेशालय (टी. जी. सी. प्रविष्टि) ने याचिकाकर्ता को अपने पत्र दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से सूचित किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' में डिग्री नहीं थी, इसलिए वह निदेशालय द्वारा विज्ञापित पद के लिए पात्र नहीं था।यह आगे सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के समतुल्यता कॉलम में उल्लिखित डिग्री के साथ समतुल्यता का गलत दावा किया था; क्योंकि याचिकाकर्ता की डिग्री का उल्लेख समतुल्यता कॉलम में भी नहीं किया गया था, जैसा कि विज्ञापन में ही उल्लेख किया गया था।तदनुसार, उक्त 55वें अल्पकालिक सेवा आयोग (तकनीकी) (अक्टूबर, 2020) के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।याचिकाकर्ता ने अपनी उक्त उम्मीदवारी के रद्द होने को चुनौती दी है।

(5) प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें उन्होंने दिनांक 10.02.2014 के निर्देशों पर भरोसा किया है, जिसके तहत भर्ती

महानिदेशालय ने इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं में डिग्री की समानता के पहलू पर विचार किया था, जिसके लिए सेना तकनीकी शाखाओं में भर्ती कर रही थी, और प्रस्तुत किया है कि ये निर्देश इंजीनियरिंग की धाराओं को प्रदान करते हैं, निर्दिष्ट डिग्री जो उक्त धाराओं में भर्ती के लिए आवश्यक हैं और समकक्ष डिग्री का भी उल्लेख करते हैं जो निदेशालय द्वारा संबंधित धाराओं में मुख्य डिग्री के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।याचिकाकर्ता की डिग्री का उल्लेख मुख्य डिग्री के कॉलम में या समकक्ष डिग्री के कॉलम में नहीं मिलता है।इसलिए याचिकाकर्ता को उक्त भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

(6) मामले में तर्क देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि याचिकाकर्ता की डिग्री 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' में है, हालांकि, यह केवल नामकरण का अंतर है।'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग' की डिग्री और 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' की डिग्री के लिए पाठ्यक्रम समान हैं।इसलिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'ए. आई. सी. टी. ई.'), जो तकनीकी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त डिग्री के लिए शिक्षा को विनियमित करती है, ने संयुक्त रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री और 'इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली इंजीनियरिंग' की डिग्री का उल्लेख किया है।तदनुसार, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता समकक्षता का दावा भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी डिग्री केवल 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार

इंजीनियरिंग' के क्षेत्र में एक डिग्री है जैसा कि एआईसीटीई द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय प्रतिवादी स्वयं ने संलग्न दिनांकित 31.12.2020 पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है संलग्नक आर-3/2 विश्वविद्यालय द्वारा दायर लिखित बयान के साथ में कि याचिकाकर्ता की डिग्री सभी मामलों में 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' में डिग्री के बराबर है।तदनुसार, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है।प्रतिवादी ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता की डिग्री की समानता पर भी विचार नहीं किया है।उन्हें कम से कम इस पर विचार करना चाहिए।वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, इस प्रकार, डब्ल्यू. ई. एफ. 11.01.2021 से शुरू हो रहा है, तथापि, सेना भर्ती निदेशालय द्वारा दिनांकित 11.09.1996 पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कुछ स्थितियों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 21 दिनों तक देरी से शामिल करने का प्रावधान है। तदनुसार, भले ही प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की डिग्री की समानता पर कोई संदेह हो, फिर भी वे उस पर एक सचेत निर्णय ले सकते हैं ताकि याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा किया जा सके और याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त डिग्री का भी निपटारा किया जा सके।

(7) प्रतिवादीगण नंबर 1 और 2 नियोक्ता के लिए विद्वान वकील, ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने पहले दिन से ही पात्रता की शर्तों को स्पष्ट कर दिया था।याचिकाकर्ता को डिग्री की आवश्यकताओं के साथ-साथ

वर्तमान भर्ती के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा गया था।चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त डिग्री या तो सेना की संचार धारा के लिए आवश्यक विशिष्ट डिग्री में शामिल नहीं है और न ही उनके द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री में समान निष्कर्ष का उल्लेख किया गया है और जैसा कि विज्ञापन में ही निर्धारित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 प्रत्येक मामले में समानता निर्धारित करने की प्रक्रिया पर इसे एक खुली योजना बनाकर नहीं जा सकते हैं ताकि हर बार भर्ती की प्रक्रिया को रोका जा सके।ऐसी स्थिति से बचने के लिए, प्रतिवादी ने पहले ही समकक्ष डिग्री भी निर्धारित कर दी है।इसलिए, याचिकाकर्ता अपनी डिग्री के समतुल्यता के किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है, जो प्रतिवादी द्वारा समतुल्य के रूप में निर्धारित डिग्री के दायरे से बाहर है।वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नंबर 3- विश्वविद्यालय ने, हालांकि, याचिकाकर्ता की डिग्री को 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री के बराबर घोषित किया है, हालांकि, भर्ती करने वाले प्रतिवादी उक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी भी समानता से बाध्य नहीं हैं।यह भर्ती करने वाले प्रतिवादी के लिए है जो भारतीय सेना की संबंधित शाखाओं के काम करने की नौकरी प्रोफाइल और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिग्री की समानता निर्धारित करते हैं, और इन प्रतिवादी द्वारा उक्त अभ्यास पहले ही आयोजित किया जा चुका है। हालांकि, भर्ती करने

वाले प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के वकील ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश अल्पकालिक सेवा बोर्ड द्वारा कमीशन प्रशिक्षण के लिए की गई है और कुछ स्थितियों में संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की शुरुआत से 21 दिनों तक अकादमी में प्रशिक्षण में देर से शामिल होने का प्रावधान है।

(8) श्री एकजोत संधू, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3, विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए, जिससे याचिकाकर्ता ने डिग्री प्राप्त की है, ने प्रस्तुत किया है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ने इस मामले पर विचार किया है और एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंची है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' की डिग्री सभी मामलों में 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री के बराबर है।तदनुसार, याचिकाकर्ता की डिग्री को भी समकक्ष डिग्री के रूप में प्रमाणित किया गया था।हालांकि, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय प्रश्नगत चयन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, हालांकि, विश्वविद्यालय अभी भी विद्या परिषद् द्वारा दी गई विशेषज्ञ राय पर कायम है कि 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली इंजीनियरिंग' की उक्त डिग्री 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री के बराबर है जैसा कि किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है और जैसा कि एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(9) पक्षकारों के वकीलों की संबंधित दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि भर्ती करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उनके द्वारा जारी विज्ञापन में वर्तमान भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक

योग्यताएँ निर्धारित की है।विज्ञापन के प्रासंगिक खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"3. रिक्तियां।उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम और उनके स्वीकार्य समकक्ष स्ट्रीम, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में सख्ती से अधिसूचित किया गया है, स्वीकार किए जाएंगे।किसी अन्य इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।डिग्री चर्मपत्र/अंकपत्र पर दिए गए इंजीनियरिंग स्ट्रीम के नामकरण और उम्मीदवार द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किए गए नामकरण के बीच भिन्नता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(क) एस. एस. सी. (टेक)-55 पुरुषों के लिए।

इंजीनियरिंग धाराएँ (ए. आई. में सूचीबद्ध)	समतुल्य धारा (ए. आई. सी. टी. ई.)	रिक्तियां
सिविल	सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग (संरचनात्मक इंजीनियरिंग), संरचनात्मक इंजीनियरिंग	42
मैकेनिकल	मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल (मेकाट्रॉनिक्स) इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग	14
इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर), पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।	17

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/एम. एससी. कंप्यूटर विज्ञान	कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सूचना विज्ञान और इंजीनियरिंग।	58
इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकॉम/टेलिकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यून/सैटेलाइट कम्युनिकेशन	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग, दूरसंचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संचार इंजीनियरिंग	21
इलेक्ट्रॉनिक्स	पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव	02
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स		02
फाइबर प्रकाशिकी		02
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव		02
प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	उत्पादन इंजीनियरिंग, उत्पाद डिजाइन और विकास, उत्पादन इंजीनियरिंग और प्रबंधन	02
वास्तुकला	आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग	03
भवन निर्माण प्रौद्योगिकी		02
वैमानिकी	एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग	2
बैलिस्टिक		2
एविओनिक्स		2
एयरोस्पेस		2
कुल		175

(ख) एस. एस. सी. डब्ल्यू. (टेक)-26 के लिए

इंजीनियरिंग धाराएँ (ए. आई. में सूचीबद्ध)	समतुल्य धारा (ए. आई. सी. टी. ई.)	रिक्तियां
सिविल	सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग (संरचनात्मक इंजीनियरिंग), संरचनात्मक इंजीनियरिंग	03
वास्तुकला/भवन निर्माण प्रौद्योगिकी	आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग	01
मैकेनिकल	मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल (मेकाट्रॉनिक्स) इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग	02
इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर), पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।	02
इलेक्ट्रानिक्स टेलिकॉम/टेलिकम्युनिकेट आयन/इलेक्ट्रानिक्स एंड कॉमन/सैटेलाइट कम्युनिकेशन	इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग, दूरसंचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संचार इंजीनियरिंग	03
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/एम. एससी. कंप्यूटर विज्ञान	कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सूचना विज्ञान और इंजीनियरिंग।	3
कुल		14

(ग) केवल रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए।

प्रविष्टि	रिक्तियां	टिप्पणियां
एस. एस. सी. (डब्ल्यू) टेक	1	बी. इ. / बीटेक किसी भी तकनीकी धारा में
एस. एस. सी. (डब्ल्यू) (गैर तकनीकी) (गैर यू. पी. एस. सी.)	1	किसी भी स्ट्रीम में स्नातक

ये रिक्तियां अस्थायी हैं और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर बदली जा सकती हैं।

नोट1. एक उम्मीदवार को उपरोक्त पाठ्यक्रमों की केवल एक प्रविष्टि/विषय के लिए आवेदन करने की अनुमति है।चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रवेश या योग्यता विकल्प में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट2. रक्षा कर्मियों जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी, की विधवाएँ, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, वे एस. एस. सी. डब्ल्यू. (टेक और गैर-टेक) के लिए आवेदन करने के पात्र होंगी, बशर्ते उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया हो।उनकी उम्मीदवारी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त श्रेणी के लिए जारी की गई विशिष्ट रिक्तियों के खिलाफ ही विचार किया जाएगा।खाली होने की स्थिति में, रिक्त स्थान विधवाओं के अलावा अन्य

श्रेणी में वापस आ जाएगा।आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिएः-

(i) आवेदन पत्र (www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड किया जाना है)।

((ii) 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र और मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रति।

((iii) 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र और मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रति।

(iv) डिग्री प्रमाणपत्र और मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रति।

(v) भाग II विवाह का आदेश।

(vi) भाग II पति की मृत्यु से समबन्धित आदेश।

(vii) युद्ध/शारीरिक हताहतों की प्रारंभिक रिपोर्ट।

(viii) युद्ध/शारीरिक हताहतों की विस्तृत रिपोर्ट।

(ix) युद्ध/शारीरिक हताहत प्रमाण पत्र।

नोट 3.ऊपर दिए गए क्रम (v) से (ix) को पूर्व एम. पी. निदेशालय (एम. पी.-5 और 6) के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है।, अधिकारियों के लिए आई. एच. क्यू. रक्षा मंत्रालय (सेना) का और जे. सी. ओ./ओ. आर. के लिए संबंधित अभिलेख कार्यालय द्वारा।

आवेदन वाले लिफाफे पर लाल स्याही से स्पष्ट रूप से ऑफ़र/जेसीओ/ओआर का नाम रैंक के साथ लिखा होना चाहिए।उदाहरण के लिए, " मृतक की विधवा"।ये उम्मीदवार सीधे आर. टी. जी. पर 'ए'(डब्ल्यू.

ई.) खंड, डी. टी. ई. जनरल ऑफ आर. टी. जी., ए. जी. की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना), वेस्ट ब्लॉक-आई. एल., आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 ऑफ़ लाइन आवेदन करेंगे।, बशर्ते कि उनके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता हो और वे निर्दिष्ट चयन मानदंडों को पूरा करते हों।डी. टी. ई. जनरल ऑफ आर. टी. जी. में इस तरह के ऑफ़ लाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है।अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन/अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।"

(10) प्रतिवादी द्वारा निर्धारित योग्यता के अवलोकन से पता चलता है कि भर्ती करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने इंजीनियरिंग धाराओं को निर्धारित किया है जिन्हें वे अपनी भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देंगे।इस तालिका के कॉलम II में डिग्री की बात नहीं की गई है, बल्कि यह इंजीनियरिंग की धाराओं की बात करता है; जैसा कि सेना के निर्देशों में सूचीबद्ध है, जिसका उल्लेख भर्ती महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए उपरोक्त पत्र दिनांक 10-02-2014 में किया गया है।हालाँकि, तालिका के कॉलम संख्या.II में इंजीनियरिंग की धारा का उल्लेख किया गया है, लेकिन चूंकि डिग्री का नामकरण कॉलम I में निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए, उस स्थिति से निपटने के लिए जहाँ अलग-अलग नामकरण वाले डिग्री वाले व्यक्ति उक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, तालिका के कॉलम II ने कुछ जुड़ी हुई इंजीनियरिंग धाराओं को निर्दिष्ट किया है, जैसा कि AICTE द्वारा अनुमोदित है, समकक्ष धाराओं के रूप में।यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की डिग्री का नामकरण कॉलम संख्या I या ऊपर

उल्लिखित तालिका के कॉलम संख्या.II में उल्लिखित नहीं है।तदनुसार, सामान्य रूप से, यह न्यायालय किसी भी तरह से चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए आगे की कार्यवाही से परहेज करेगा।यह मानते हुए कि यह नियोक्ता है जो नौकरी की रूपरेखा और इस तरह की भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता तय करता है, यह न्यायालय विभिन्न डिग्री की समानता में जाने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए अनिच्छुक होगा जो विभिन्न विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग में समान या समान धाराओं के अध्ययन के लिए जारी कर सकते हैं।

(11) हालाँकि, याचिकाकर्ता के वकील ने मानदंडों और आवश्यकताओं से जुड़े परिशिष्ट II में प्रविष्टि संख्या.83 पर भरोसा किया है, जैसा कि है। ए. आई. सी. टी. ई. (2019-2020) की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय VI में दिया गया है, यह तर्क देने के लिए कि है। ए. आई. सी. टी. ई. ने स्वयं 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' और 'इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली इंजीनियरिंग' की डिग्री को सामान रूप से लिया है और अनुमोदन के उद्देश्य से एक ही प्रविष्टि में इन दोनों धाराओं का उल्लेख किया है।ए. आई. सी. टी. ई. अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (2019-20) से प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“ अध्याय VI

नियम और आवश्यकताएँ

6.2 डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा सेरिलिकेट/अंडर ग्रेजुएट डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी/फार्मेसी/आर्किटेक्चर/प्लानिंग/एप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स/डिजाइन/होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी/एमसीए/मैनेजमेंट में पाठ्यक्रमों के स्वीकृत नामकरण की सूची अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के परिशिष्ट 2 में दी गई है।

*****

परिशिष्ट 2

2.0 पाठ्यक्रमों का अनुमोदन नामकरण

* * * * * *

2.3 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के तहत

******* * * *

एस. नं. 83 इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन (कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग)

****** ”

(12) निर्विवाद रूप से, यह ए. आई. सी. टी. ई. है जो विभिन्न धाराओं में इंजीनियरिंग के अध्ययन को नियंत्रित करता है।यदि वैधानिक नियामक शैक्षणिक निकाय ने स्वयं 'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन' और 'कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' की धारा को एक ही श्रेणी में रखा है, तो याचिकाकर्ता के दावे को उचित महत्व दिया जाता है।तदनुसार,

याचिकाकर्ता का यह दावा कि याचिकाकर्ता की डिग्री, हालांकि 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' में उल्लिखित है, वास्तव में, 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की एक डिग्री है, उचित विचार के योग्य है।इसलिए, भले ही याचिकाकर्ता के डिग्री के नामकरण का उल्लेख मूल धारा में या प्रतिवादी द्वारा समतुल्य के रूप में उल्लिखित धारा में नहीं मिलता है, याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता है।संबंधित स्ट्रीम में भर्ती के लिए याचिकाकर्ता की डिग्री की पात्रता के पहलू पर वर्तमान भर्ती के उद्देश्य के साथ-साथ भविष्य की भर्तियों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए, ऐसा न हो कि इंजीनियरिंग स्नातक का एक पूरा वर्ग जो डिग्री रखता हो जो याचिकाकर्ता के पास है, और जिसे ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, उसे भारतीय सेना में प्रतिष्ठित रोजगार के लिए विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

(13) यद्यपि, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की भर्ती के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर उत्तर के पैरा 4 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की डिक्री के मुद्दे पर स्पष्टीकरण सक्षम प्राधिकारी से मांगा गया था और यह स्पष्ट किया गया है कि सेना में रोजगार के उद्देश्य से विभिन्न इंजीनियरिंग धाराओं की समानता पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है और भर्ती महानिदेशालय को धाराओं की मौजूदा समानता का पालन करना है जैसा कि पहले से ही सेना के दिनांक 10-02-2014 के निर्देशों में उल्लेख किया गया है, हालांकि, जवाब का यह पैरा

स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की डिग्री के नामकरण के साथ विशेष रूप से डिग्री के मामले पर विचार न करने को दर्शाता है।उक्त अनुच्छेद यह नहीं दर्शाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के नाम के साथ एक सचेत निर्णय लिया है।यह भर्ती करने वाले प्रतिवादी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास मौजूद डिग्री के नामकरण के साथ डिग्री के समतुल्यता के मुद्दे पर उनके द्वारा विशेष रूप से विचार किया गया है और यह 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' में डिग्री के समतुल्य नहीं पाया गया है। जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा विचार का संबंध है यदि ऐसी स्थिति होती तो मामला समाप्त हो जाता। हालाँकि, प्रतिवादी की दलीलें भर्ती करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा याचिकाकर्ता की डिग्री के नामकरण के साथ डिग्री की समानता पर किसी विशिष्ट विचार को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।जबकि, ए. आई. सी. टी. ई. के विनियमों को देखते हुए प्रतिवादी पर इस तरह का विचार अनिवार्य हो जाता है; जिसने 'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग' की डिग्री और 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' की डिग्री को बराबर रखा है और इन दोनों नामकरणों को अपने विनियमों में एक ही प्रविष्टि में शामिल किया है।जब तक इस पहलू पर भर्ती करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा विशेष रूप से विचार नहीं किया जाता है, तब तक यह सेना में प्रासंगिक नौकरियों में विचार से पूरी संख्या में उम्मीदवारों के तर्कहीन बहिष्कार के समान होगा।यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्राप्त करने के उनके अधिकार का उल्लंघन

होगा।इसलिए, यह न्यायालय स्वयं को इस मामले पर एक विशिष्ट निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने और वर्तमान भर्ती के साथ-साथ भविष्य की पुनरावृत्तियों के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' की डिग्री और 'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग' की डिग्री की समानता के लिए एक विशिष्ट, निष्पक्ष और सचेत निर्णय लेने के कर्तव्य के तहत पाता है।

(14) हालांकि, भर्ती करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को 'इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री के साथ याचिकाकर्ता की डिग्री की समानता पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है, हालांकि, यह अपने आप में याचिकाकर्ता को कोई अतिरिक्त और तत्काल अधिकार प्रदान नहीं करेगा कि वह ऐसी समानता के लिए सचेत निर्णय लेने वाले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की भर्ती किए बिना तुरंत पाठ्यक्रम में शामिल हो।इसलिए, याचिकाकर्ता के दावे को तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तक कि भर्ती प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा सचेत निर्णय नहीं लिया जाता है।

(15) तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को निर्देश के साथ किया जाता है कि वे ए. आई. सी. टी. ई. के विनियमों और ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यान में रखते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग' में डिग्री और 'इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग' में डिग्री की समानता पर एक विशिष्ट, निष्पक्ष और सचेत

निर्णय लें।इस तरह का सचेत निर्णय याचिकाकर्ता के साथ-साथ 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की धारा में भविष्य की भर्तियों के लिए लिया जाएगा ताकि भविष्य में समान रूप से स्थित उम्मीदवारों को और कोई असुविधा न हो।यह भी आदेश दिया जाता है कि इस तरह का सचेत निर्णय आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी द्वारा लिया जाएगा।

(16) यदि इस तरह के सचेत निर्णय पर याचिकाकर्ता की डिग्री को भर्ती प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा आवश्यक 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग' की डिग्री के बराबर माना जाता है, तो याचिकाकर्ता को वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा।हालाँकि, यदि भर्ती करने वाले प्रतिवादी को अपनी नौकरी की प्रोफ़ाइल और नौकरी की आवश्यकताओं के संदर्भ में दो डिग्री के बीच समानता नहीं मिलती है, तो याचिकाकर्ता को वर्तमान चयन में अपनी डिग्री के आधार पर पात्रता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा और उसे वर्तमान बैच में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(17) उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है

सुमन देवी ट्रांसलेटर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।